

प्रभावी समाधान के लिए आईबीसी ढांचे का सुदृढीकरण*

श्री एम. राजेश्वर राव

नमस्कार

सबसे पहले मैं भारतीय दिवाला और धनशोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष श्री रवि मित्तल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे 'धनशोधन अक्षमता समाधान: विकासक्रम और वैश्विक परिप्रेक्ष्य' विषय पर आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित किया, जो आईएनएसओएल-इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। नीति निर्माताओं, इस क्षेत्र के व्यावसायिकों और शिक्षाविदों की विचार प्रक्रियाओं का यह संगम शायद देश में समाधान और धनशोधन अक्षमता व्यवस्था के एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को आकार देने में मदद करेगा। आशा है इससे हम भविष्य के लिए समाधान प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी और कुशल बनाने हेतु मार्ग तैयार करने में सक्षम बन पाएंगे।

आज, मैं बैंकों के तुलनपत्रों को स्वच्छ करने में दिवाला और धनशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की भूमिका और हमारे दृष्टिकोण से प्रमुख हितधारकों, अर्थात् वित्तीय ऋणदाताओं के लिए इसकी क्षमता का और अधिक लाभ उठाने के संभावित तरीकों पर विचार करके शुरुआत करना चाहता हूँ। भारत में वर्तमान दिवाला और धनशोधन अक्षमता व्यवस्था डॉ. टी के विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली धनशोधन अक्षमता कानून सुधार समिति द्वारा दिए गए सुझावों का परिणाम थी। नई दिवाला और धनशोधन अक्षमता समाधान प्रणाली के लिए समिति की सिफारिशें कुछ मुख्य सिद्धांतों पर आधारित थीं, जो इस प्रकार थीं - (i) प्रारंभिक चरण में उद्यम की व्यवहार्यता के आकलन का प्रावधान करना; (ii) ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच सूचना की समरूपता को सक्षम करना; (iii) आर्थिक मूल्य को बेहतर ढंग से संरक्षित करने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करना; (iv) प्राथमिकता को स्पष्ट करते हुए सभी ऋणदाताओं

के अधिकारों का सम्मान करना; और (v) परिणामों की अंतिमता सुनिश्चित करना।

इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप 2016 की दिवाला और धनशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) अस्तित्व में आई। तब से यह संहिता (कोड) और इससे संबंधित पारितंत्र विकसित होते रहे हैं, जो ऊपर वर्णित सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से आगे ले जाते हैं। हालाँकि, इसका कार्यान्वयन उस व्यापक पारितंत्र का एक कार्य है जिसमें यह संचालित होता है, इस कोड को अपने अपेक्षाकृत अल्प समय में विभिन्न आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से समयसीमा का पालन करने में देरी और असंतोषजनक वसूली के संदर्भ में, जिसका आंशिक रूप से कारण था हितधारकों के बीच असमान हिता। हालांकि आईबीसी के लागू होने के बाद इनमें से कुछ मुद्दों को दूर करने के लिए इसमें कई संशोधन किए गए हैं, लेकिन फिर भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

बैंक तुलनपत्रों को स्वच्छ करने में आईबीसी की भूमिका

जैसा कि आप जानते हैं, बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता की स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है - विशेष रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए, जो मार्च 2018 में 11.2% के शिखर पर था, से घटकर मार्च 2024¹ में 2.8% हो गया। यह कमी आने में आईबीसी के तहत सक्षम समाधान प्रक्रियाओं का उल्लेखनीय योगदान है। यदि आईबीसी का समग्र मूल्यांकन किया जाए, तो यह समाधान तंत्र के रूप में महत्वपूर्ण स्तर की गति को दर्शाता है। सितंबर 2024 तक 8,002 मामले² कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में स्वीकार किए गए और इनमें से लगभग 75% मामले समाधान, वापसी, समीक्षा, निपटान या परिसमापन के माध्यम से बंद कर दिए गए। बंद किए गए मामलों में से 56% का समाधान, निपटान या वापसी हुई। सकारात्मक रूप में समाधान और परिसमापन का अनुपात जो 2017-18 में 21% था, से बढ़कर 2023-24 में 61% हो गया। समाधान परिणामों को सुविधाजनक बनाने के अलावा, आईबीसी का उपयोग वित्तीय और परिचालन दोनों प्रकार के ऋणदाताओं द्वारा उधारकर्ताओं (उधारकर्ताओं) को अपने ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रभावी

* 7 दिसंबर 2024 को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) और आईएनएसओएल इंडिया द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषणा वैभव चतुर्वेदी, खबीर अहमद और अरुण कुमार पचमल द्वारा दी गई जानकारी के लिए आभार।

¹ आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

² आईबीसी के तहत संदर्भित मामलों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में इस भाषण में संदर्भित डेटा आईबीबीआई त्रैमासिक समाचार पत्रों से संकलित किया गया है।

ढंग से किया गया है। मार्च 2024 तक ₹10.22 लाख करोड़ की बकाया डिफॉल्ट राशि से जुड़े 28,818 मामले दाखिल होने से पहले ही वापस ले लिए गए।

बैंककारी विनियमन अधिनियम में सम्मिलित नई धारा 35ए के तहत निहित शक्तियों के संदर्भ में, आरबीआई ने 2017 में 41 संस्थाओं के संबंध में बैंकों को सीआईआरपी आवेदन दाखिल करने के निर्देश जारी किए थे, जिनकी उस समय बैंकिंग प्रणाली के एनपीए में 35% से अधिक हिस्सा था। अब तक 17 उधारकर्ताओं के मामले में समाधान योजना को मंजूरी दी गई है, 12 उधारकर्ताओं के मामले में परिसमापन के आदेश जारी किए गए हैं, 2 उधारकर्ताओं के साथ ऋणदाताओं द्वारा समझौता किया गया है; और 4 मामलों में ऋणदाताओं ने एआरसी को अपने ऋण मामले सौंपे हैं। निपटाए गए 17 मामलों से वित्तीय ऋणदाताओं के लिए कुल प्राप्ति स्वीकृत दावों का लगभग 50% और परिसमापन मूल्य का 190% रही है।

वित्तीय ऋणदाता अब तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए इस संहिता का सक्रिय रूप से लाभ उठा रहे हैं। सितंबर 2024 तक लगभग 633 कारपोरेट उधारकर्ताओं के मामले, जहां वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा धनशोधन अक्षमता प्रक्रिया अपनाई गई थी, आईबीसी के तहत सफलतापूर्वक हल किए गए, जिससे स्वीकृत दावों का औसतन 30.09% प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, 702 कारपोरेट उधारकर्ता खातों में वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा दायर सीआईआरपी आवेदनों को या तो अपील/समीक्षा/निपटान के माध्यम से हल किया गया है या धारा 12ए के तहत वापस ले लिया गया है। इसी तरह, 1224 कारपोरेट उधारकर्ताओं के संबंध में परिसमापन आदेश पारित किए गए हैं।

इसके अलावा, 2019 में इस संहिता की धारा 227 लागू होने पर रिजर्व बैंक को वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफएसपी) के समाधान के लिए आईबीसी तंत्र का लाभ उठाने का अधिकार प्राप्त हुआ। रिजर्व बैंक ने अब तक चार एफएसपी के खिलाफ धनशोधन अक्षमता कार्यवाही शुरू करने के लिए इस प्रावधान का उपयोग किया है और आज की तारीख तक उन सभी का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। जाहिर है, आईबीसी ने बैंक तुलनपत्रों को स्वच्छ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

³ 3 संबंधित बैंकों से आरबीआई द्वारा संकलित डेटा।

हालांकि आईबीसी ऋणदाताओं के लिए एक मूल्यवान माध्यम साबित हुआ है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं कुछ ऐसे कारकों के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ जिनकी वजह से इसकी प्रभावशीलता बाधित हुई है, ताकि यह स्पष्ट रूप से समझा जा सके कि आईबीसी की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग क्यों नहीं किया गया है।

(i) आरंभ करने में देरी

समाधान प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए समय और समय निर्धारण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जबकि आईबीसी प्रक्रिया में देरी पर व्यापक रूप से चर्चा होती है, उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा आईबीसी प्रक्रिया को आरंभ करने में देरी करने का भी है। आईबीसी सभी ऋणदाताओं को डिफॉल्ट होने पर सीआईआरपी आरंभ करने का अधिकार देता है। लेकिन वास्तव में, डिफॉल्ट की तिथि से लेकर सीआईआरपी दाखिल करने तक वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा लिया जाने वाला औसत समय अक्सर कई महीनों का होता है। इस अवधि के दौरान मूल्यराशि के एक बड़े हिस्से का नुकसान होता है, जो अंततः वसूली के परिणाम को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में वित्तीय ऋणदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें आगे के नुकसान को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

जबकि आईबीसी का उपयोग हाल में ही बढ़ा है, हमें यह मालूम होना चाहिए है कि यह ऋणदाताओं के लिए वित्तीय दबाव को हल करने के लिए उपलब्ध तंत्रों में से एक है। सुरक्षा को लागू करने के लिए और भी वैधानिक तंत्र उपलब्ध हैं और साथ ही समाधान के लिए अदालत से बाहर के विकल्प भी हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी भूमिका और सीमाएँ हैं। विनियामक दृष्टिकोण से रिजर्व बैंक वित्तीय संकट के त्वरित समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरू किए जाने के मुद्दे को छोड़कर ऋणदाताओं द्वारा चुने गए तंत्रों के बारे में तटस्थ रहता है।

(ii) न्यायालय के बाहर समझौते की प्रभावकारिता

औपचारिक दिवाला ढांचे की वास्तविक सफलता इसके वास्तविक उपयोग के आधार पर नहीं बल्कि निवारक के रूप में इसकी भूमिका में निहित है। न्यायालय के बाहर समझौता प्रक्रियाओं को ही समाधान के प्राथमिक साधन के रूप में कारगर बनाने की आवश्यकता है जो औपचारिक दिवाला ढांचे के अंतर्गत

हो। भारतीय संदर्भ में, दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर आरबीआई का विवेकपूर्ण ढांचा न्यायालय के बाहर समझौता तंत्र प्रदान करता है। यह विवेकपूर्ण ढांचा उधारकर्ताओं द्वारा दबाव की शीघ्र पहचान और समयबद्ध समाधान के लिए एक व्यापक सिद्धांत-आधारित व्यवस्था प्रदान करता है। हालाँकि, इस तंत्र की प्रभावकारिता कई कारकों के कारण बाधित हुई है, जिसमें ऋणदाताओं के बीच समन्वय के मुद्दे भी शामिल हैं। इसलिए, न्यायालय के बाहर समझौते के तहत सिद्धांत-आधारित समाधान दृष्टिकोण को आईबीसी की वैधानिक छत्रछाया के साथ जोड़ने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है, ताकि न्यायालय के बाहर शुरू किए गए समाधान को आईबीसी के तहत परिवर्तित किया जा सके और लागू किया जा सके।

इस आवश्यकता को पहचानते हुए, 2021 में प्री-पैक धनशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (पीपीआईआरपी/प्री-पैक) शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नियमित सीआईआरपी के विकल्प के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्यमों (एमएसएमई) का समाधान करना था। प्री-पैक को एमएसएमई के लिए बहुत ही कारगर माना गया था क्योंकि इसमें सफल समाधान उपाय बनाने के लिए सभी तत्व मौजूद थे, जैसे कि - उधारकर्ता के पास कब्जा, लागत प्रभावी, त्वरित समाधान समयसीमा और स्वयं एमएसएमई द्वारा तैयार की गई आधार समाधान योजना। प्री-पैक व्यवस्था के तहत औपचारिक रूप से प्री-पैक धनशोधन अक्षमता प्रक्रिया में प्रवेश करने से पहले एमएसएमई और ऋणदाताओं को समाधान के लिए एक पूर्व समझौते पर पहुंचना होता है। इन सभी लाभों के बावजूद पीपीआईआरपी के तहत अब तक केवल दस आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से एक को वापस ले लिया गया और पाँच मामलों में समाधान योजनाओं को मंजूरी दी गई।

आईबीबीआई ने एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की थी जिसने मई 2023 में दिवाला और धनशोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत ऋणदाताओं के नेतृत्व वाले समाधान दृष्टिकोण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में आईबीसी के तहत मौजूदा फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया को पीपीआईआरपी के समान 'ऋणदाता के नेतृत्व वाली' और 'अदालत से बाहर' दिवाला समाधान प्रक्रिया में बदलने का सुझाव दिया गया है, लेकिन पीपीआईआरपी को अपनाने में देखी गई चुनौतियों का समाधान करने के लिए उसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इस संबंध में एक ऐसा उपयुक्त

ढांचा अपनाया जा सकता है जो आईबीसी के सार तत्व को कम किए बिना इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति में मददगार होगा।

(iii) ऋणदाता समिति (सीओसी) की भूमिका

आईबीसी सीआईआरपी में ऋणदाता समिति (सीओसी) को एक केंद्रीय भूमिका सौंपता है। हालांकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सीओसी के निष्पादन में कई पहलुओं में कमी पाई गई है जैसे कि समूह के सामूहिक हित के बजाय व्यक्तिगत ऋणदाताओं के हितों को असंगत रूप से प्राथमिकता देना; कम मूल्यांकन या व्यवहार्यता की कथित कमी के बारे में चिंताओं के कारण समाधान योजना को मंजूरी देने पर सीओसी सदस्यों के बीच असहमति; समाधान योजना पर सहमति होने पर भी आय के वितरण पर असहमति; सीओसी बैठकों में सहभागी न होना और सदस्यों के बीच प्रभावी जुड़ाव न होना, और समन्वय या सूचना के आदान-प्रदान की कमी होना। कारपोरेट वित्त, कानून और संबंधित उद्योगक्षेत्र के ज्ञान जैसे क्षेत्रों में अपर्याप्त कौशल के बारे में उदाहरण देखे गए हैं; और यह भी कि सीओसी में वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा नामित व्यक्तियों को ऐसी जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं जो उनके वास्तविक अधिकार से कहीं अधिक होती हैं।

यह ऋणदाताओं के व्यापक हित में है कि सीओसी के संचालन से संबंधित मुद्दों को विनियामक निर्देशों या आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना सदस्यों द्वारा स्वयं संबोधित किया जाए। हालांकि, यह वास्तविकता है कि जब हितों का समुचित रूप से ध्यान न रखा गया हो तो सर्वोत्तम प्रथाओं से विचलन होना एक आम बात बन जाती है। इसलिए, हमें सीओसी के लिए लागू करने योग्य एक आचार संहिता की आवश्यकता है। जाहिर है, वित्तीय ऋणदाताओं के विविध समूह को देखते हुए संबंधित क्षेत्रों के विनियामकों के लिए इसे लागू करना संभव नहीं होगा। सही मायने में आईबीबीआई, जो आईबीसी के तहत नामित विनियामक है, के पास आईबीसी प्रक्रिया के तहत सभी हितधारकों के कार्य को ध्यान में लेते हुए मानदंडों को लागू करने की शक्तियाँ होनी चाहिए।

(iv) समाधान पेशेवर की भूमिका

आईबीसी पारितंत्र के तहत एक अन्य प्रमुख हितधारक समाधान पेशेवर (आरपी) है, जिसकी विशेषज्ञता और दक्षता समाधान प्रक्रिया के परिणाम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती

है। समाधान पेशेवर को संबंधित उद्योग, व्यावसायिक वातावरण और लागू कानूनों का गहन ज्ञान होना चाहिए तथा उसे संकटग्रस्त फर्मों के वित्तीय विश्लेषण और प्रबंधन में भी कुशल होना चाहिए। प्रबंधन पहलू यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आरपी संकटग्रस्त कारपोरेट उधारकर्ता का नियंत्रण लेता है और सीओसी के परामर्श के आधार पर एमडी/सीईओ के कर्तव्य का निर्वहन करता है। आरपी के चयन और कार्रवाई में कोई भी कमी इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बाधा होगी। कोड में दावों के संग्रह से लेकर संभावित समाधान आवेदकों को खोजने और समाधान योजना को अंतिम रूप देने के लिए सीओसी को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने तक आरपी पर बहुत सारी परिचालन जिम्मेदारियाँ होती हैं। हालाँकि, कई मामलों में, आरपी को अन्य हितधारकों का सहयोग नहीं मिलता है जो आरपी की अपने कर्तव्यों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन करने की क्षमता को बाधित करता है। एक संतोषजनक बात यह है कि आईबीबीआई ने निरंतर व्यावसायिक शिक्षा (सीपीई) कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, वेबिनार और सेमिनारों के माध्यम से आरपी के प्रशिक्षण की सुविधा के लिए कदम उठाए हैं। संचालन संबंधी विनियमों के बेहतर प्रवर्तन के साथ ये कदम इन मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

(v) समाधान पेशेवरों के लिए प्रोत्साहन

विनियम किसी गतिविधि के लिए सीमाएँ निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन हर विवरण को विचार में नहीं ले सकते। हालाँकि विनियमनों ने समाधान पेशेवरों (आरपी) के लिए एक पारितंत्र बनाने में मदद की है, लेकिन उनका मुआवज़ा वाणिज्यिक तौर पर बाज़ार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं द्वारा समस्या को हल करने के सभी प्रयास जब विफल हो जाते हैं उसके बाद आरपी की भूमिका होती है, और वे उधारकर्ता के मामलों के प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। धनशोधन अक्षमता कार्यवाही के तहत एक कारपोरेट उधारकर्ता का प्रबंधन करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। बाज़ार को आरपी के लिए मुआवज़े का स्वरूप विकसित करना चाहिए जो समाधान प्रक्रिया के परिणामों से जुड़ा हो। इससे प्रिंसिपल-एजेंट मुद्दा भी सुलझेगा और वह आरपी के लक्ष्यों को सीओसी के साथ संरेखित करेगा, जिससे दोनों पक्षों के लिए मूल्य अधिकतम होगा। यह अनुभवी पेशेवरों को भी आकर्षित करेगा, जिससे पूरी प्रणाली को लाभ होगा।

आगे की राह

इस कोड को लागू हुए लगभग आठ साल हो चुके हैं और कोड के तहत कई बड़े मामलों को सफलतापूर्वक हल किया गया है। धनशोधन अक्षमता प्रक्रिया से गुणवत्तापूर्ण डेटा तैयार किया जा रहा है, जिसका उपयोग भविष्य में क्रेडिट अंडरराइटिंग के साथ-साथ मूल्यांकन के लिए इनपुट के रूप में किया जा सकता है।

यदि यह आईबीसी पारितंत्र समाधान या परिसमापन संबंधी अनुभव की समीक्षा के माध्यम से वास्तविक अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है, तो यह आईबीसी पारितंत्र अपूर्ण होगा। यदि हम ऐसे मामलों से डेटा संकलित करते हैं, तो धनशोधन अक्षमता प्रक्रिया के तहत रखे गए उद्यमों का विस्तृत अध्ययन मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। वर्तमान में इस तरह के डेटा को व्यवस्थित रूप से संकलित नहीं किया जाता है और जो अभी बिखरा हुआ है तथा ज्यादातर व्यक्तियों के अपने अनुभव और जानकारी तक सीमित है। यदि इस डेटा को एक संरचित प्रक्रिया के माध्यम से एकत्र और संस्थागत रूप दिया जाता है तो यह हमें जटिल मामलों में कार्रवाई करने के तरीके पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि और मिसाल दे सकता है। इसलिए इस तरह के डेटा को एक संरचित तरीके से एकत्र करने की आवश्यकता है ताकि इसे सभी शामिल हितधारकों के लाभ के लिए प्रसारित किया जा सके।

डेटा का लाभ उठाना...

समग्र समाधान पारितंत्र को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर अधिक गंभीरता से काम करना होगा। सबसे पहले, चूक होने के कारणों की बेहतर समझ – क्या वह सामान्य आर्थिक वातावरण, विशिष्ट उद्योग चुनौतियों या पेशेवर कुप्रबंधन के कारण थी। यह दृष्टिकोण उचित समाधान तैयार करने में मदद कर सकता है। दूसरा, धनशोधन अक्षमता प्रक्रिया में कुछ कारपोरेट उधारकर्ताओं द्वारा सहयोग की कमी के कारण होने वाली देरी जैसे कि सूचना प्रस्तुत करने में देरी, मूल्यवान विवरण रोक रखना, कार्य प्रगति को रोकने के लिए मुकदमेबाजी का उपयोग करना, या संभावित समाधान आवेदकों को हतोत्साहित करने के लिए अप्रत्यक्ष बाधाएं पैदा करना, को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। अंत में, मूल्यांकन की जांच करना, जिसमें यह जानकारी शामिल है कि संपार्श्विक प्रकार किस तरह मूल्यप्राप्ति (रियलाइजेशन) बनाम मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं, वसूली पर समय का

प्रभाव, और समाधान समयसीमा और मूल्यांकन परिणामों के बीच संबंध, हमें ऐसी जानकारी प्रदान कर सकते हैं जो हमें प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। शायद मूल्यांकन के समय बेहतर मूल्यांकन (एप्राइजल) महत्वपूर्ण है। अक्सर मूल्यांकन और समाधान चरणों के बीच मूल्यांकन में असमानता मूल्यांकन को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने और उचित परिश्रम की संभावित कमी का संकेत है।

प्रौद्योगिकी की भूमिका

प्रौद्योगिकी के उदय के साथ भुगतान पारितंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। फिनटेक सेवा प्रदाता निर्मित हुए विशाल भुगतान डेटा के माध्यम से उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। ऋण हामीदारी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में, विशेष रूप से नकदी प्रवाह-आधारित मॉडल के माध्यम से छोटे उधारकर्ताओं और एमएसएमई के मामले में कुछ प्रगति हुई है। अगला कदम बैंकों और अन्य हितधारकों के लिए तनावग्रस्त उधारकर्ताओं के साथ मुद्दों को हल करने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होना चाहिए। प्रौद्योगिकी को कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जैसे कि उधारकर्ता के डेटा के आधार पर चूक होने से पहले उनका अनुमान लगाना, प्रारंभिक सुधारात्मक कार्रवाई को सक्षम करना; संबंधित पक्ष या तरजीही लेनदेन की पहचान करने के लिए संरचित और असंरचित दोनों प्रकार के डेटा का विश्लेषण करना, ऋणदाताओं और समाधान पेशेवरों के लिए संसाधनों की बचत करना; संवितरण पश्चात ऋण निगरानी में नियमित कार्यों को स्वचालित करना, ऋणदाताओं के लिए अधिक जटिल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय की बचत करना; और कारपोरेट उधारकर्ता का मूल्यांकन करते समय सीओसी और समाधान आवेदकों के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान करने के लिए कानूनी दस्तावेजों और अनुबंधों को पढ़ना। जैसे-जैसे इन मोर्चों पर प्रौद्योगिकी और उसका अनुप्रयोग विकसित होगा, समाधान से जुड़ी लागतों के साथ-साथ इसमें शामिल श्रम में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है।

निष्कर्ष

मैं कुछ अंतिम विचारों के साथ अपनी टिप्पणी समाप्त करना चाहूंगा! यह संभव है कि धनशोधन अक्षमता या परिसमापन कार्यवाही कंपनी के पुनरुद्धार और नए सिरों से शुरू करने का एकमात्र तरीका हो। लेकिन, हमें ऐसी इकाइयों के पुनर्गठन और पुनरुद्धार को पहले विकल्प के रूप में देखना चाहिए और उस पर त्वरित और समयबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। किसी उद्यम के भीतर मूल्यवान संपत्ति निहित होती है जिसे हम एक राष्ट्र के रूप में चलाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, भले ही ऋणदाताओं के रूप में परिसमापन प्रक्रिया सुरक्षित और जोखिम मुक्त विकल्प के रूप में दिखाई दे। इसके लिए एक ऐसा पारितंत्र बनाना आवश्यक है जो उद्यमों के पुनरुद्धार को प्रोत्साहित करे। हालांकि आईबीसी 2016 ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण कानून बना हुआ है, जिसने देश में कारपोरेट प्रथाओं के परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम पर है कि सामूहिक रूप से, हम एक संपन्न पारितंत्र बनाने के लिए इस कोड की क्षमता का दोहन करें जो मूल्य संरक्षण को सक्षम बनाता हो।

समाधान ढांचे को बेहतर बनाने की हमारी यात्रा में, हमें न केवल कथित बाधाओं या अड़चनों को देखना चाहिए, बल्कि अब तक हमने जो रास्ता तय किया है और रास्ते में क्या सीखा है उस पर भी गौर करना चाहिए। हमें ऐसे उपायों के बारे में सोचना चाहिए जो अड़ियल या बेईमान उधारकर्ताओं के मामले में कोड के प्रावधानों का सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करेंगे किंतु इस कोड को संबंधित उद्यम के आर्थिक मूल्य की पहचान करने के लिए एक प्रभावी विकल्प बना सकेंगे। पिछला दशक हम सभी के लिए सीखने, सुधार करने और विकास की एक यात्रा रहा है जो विनियामकों, वित्तीय संस्थानों या उधारकर्ताओं के रूप में इस प्रक्रिया में हितधारक हैं। इस सम्मेलन से इस बारे में नई अंतर्दृष्टि सामने आनी चाहिए कि कोड की क्षमता को कैसे उपयोग में लाया जाए जिससे कि यह वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने का काम करे, और यह हमारे राष्ट्र के मजबूत विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा सके।

धन्यवाद और नमस्कार।